राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471 एवं 472/जयपुर

उनवान : मैसर्स मार्डन मस्ती प्रा0लि0., जयपुर

बनाम

(1) अपीलीय प्राधिकारी–प्रथम, वाणिज्यिक कर विभाग, जयपुर

(2) सहायक आयुक्त, प्रतिकरापवंचन, जोन द्वितीय, जयपुर.

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

एकलपीठ

श्री के.एल.जैन, सदस्य

17/04/2018

अपीलार्थी द्वारा यें पन्द्रह अपीलें मय स्थगन प्रार्थना–पत्र अपीलीय प्राधिकारी प्रथम, वाणिज्यिक कर जयपुर (जिसे आगे **'अपीलीय अधिकारी'** कहा जायेगा) के अपील संख्या क्रमशः **216 ल0 230**/AA-I/Stay/17-18 में राजस्थान मनोरंजन एवं विज्ञापन कर अधिनियम, 1957 (जिसे आगे **'अधिनियम'** कहा जायेगा) की धारा 13ए(4) के तहत पारित किये गये पृथक–पृथक आदेश दिनांक 02.04.2018 के विरूद्ध अधिनियम की धारा 13बी के तहत प्रस्तुत की गयी हैं।

प्रकरणों के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अपीलार्थी व्यवहारी के व्यवसाय स्थल का सर्वेक्षण दिनांक 04.01.2017 को किये जाने पर पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा अपने व्यवसाय स्थल पर ग्राहकों के लिये विभिन्न प्रकार की खेल व मनोरंजन गतिविधियां जैसे 7डी सिनेमा, बॉलिंग एली/टने पिन बॉलिंग, इत्यादि संचालित की जाती है। सहायक आयुक्त, प्रतिकरापवंचन, सम्भाग–द्वितीय, जयपुर (जिसे आगे **'कर निर्धारण अधिकारी'** कहा जायेगा) उक्त राशि पर अधिनियम की धारा 4, 5सी, 9ए व 10 के तहत 30 व 10 प्रतिशत की दर से कर देयता मानते हुए आलौच्य अवधियों के पृथक–पृथक कर निर्धारण आदेश दिनांक 02.11.2017 को पारित करते हुए निम्न तालिका अनुसार मांग राशियों का आरोपण किया गया। अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा उक्त आदेशों के विरूद्ध अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपीलें प्रस्तुत की गयी, तथा साथ ही वसूली योग्य राशि की वसूली पर स्थगन आदेश जारी किये जाने हेतु अधिनियम की धारा 13(ए)(4) के तहत प्रार्थना–पत्र भी प्रस्तुत किये गये। अपीलीय अधिकारी ने सभी प्रकरणों में पृथक–पृथक आदेश दिनांक 02.04.2018 द्वारा आंशिक स्वीकार किया गया। अतः अपीलीय अधिकारी के उक्त स्थगन आदेशों के विरूद्ध व्यवहारी द्वारा ये अपीलें मय स्थगन प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत करते हुए, प्रकरणों में बकाया मांग राशि की वसूली की कार्यवाही को स्थगित किये जाने का निवेदन किया है।

अपील संख्या	अवधि	अपी.अधि. के समक्ष स्थगन हेतु मांग कि राशि	अपी. अधि. द्वारा स्वीकृत स्थगन मांग राशि	बोर्ड से चाहा गया स्थगन
1	2	3	4	5
458/18	अक्टूबर, 2015	1304790	1175000	**129790**
459/18	नवम्बर, 2015	1345790	1211000	**134790**
460/18	दिसम्बर, 2015	1452000	1305000	**147000**
461/18	जनवरी, 2016	1426850	1284000	**142850**
462/18	फरवरी, 2016	1319040	1178000	**141040**
463/18	मार्च, 2016	2421100	2179000	**242100**

लगातार..............2

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471 एवं 472/जयपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

17/04/2018

464/18	अप्रैल, 2016	1130900	1018000	**112900**
465/18	मई, 2016	1370000	1233000	**137000**
466/18	जून, 2016	1762520	1586000	**176520**
467/18	जुलाई, 2016	1426840	1284000	**142840**
468/18	अगस्त, 2016	1133690	1020500	**113190**
469/18	सितम्बर, 2016	1102660	992500	**110160**
470/18	अक्टूबर, 2016	1245870	1121000	**124870**
471/18	नवम्बर, 2016	791960	713000	**78960**
472/18	दिसम्बर, 2016	1051300	946000	**105300**

अपीलार्थी के स्थगन प्रार्थना–पत्र के सम्बन्ध में विद्वान अभिभाषक श्री एस.के.जैन एवं सर्वेश जैन तथा प्रत्यर्थी विभाग की ओर से विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक श्री आर. के. अजमेरा की बहस सुनी गयी।

अपीलार्थी की ओर से विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि पूर्व में इन्हीं समान प्रकृति के प्रकरणों के विवादित बिन्दुओं के संबंध में अपीलीय प्राधिकारी द्वारा माह अगस्त, 14 से अक्टूबर, 15 तक के प्रकरण के संबंध में धारा 13ए के तहत अपीलीय आदेश पारित करते हुए अपीलें स्वीकार की जा चुकी है तथा केवल पुर्नगणना हेतु प्रकरण प्रतिप्रेषित किये गये हैं फिर भी समान विवादित बिन्दुओं पर अपीलीय प्रधिकारी द्वारा पूर्व में पारित आदेश दिनांक 25.07.2017 की अनदेखी करते हुए बिना कोई कारण बताये आंशिक स्थगन प्रदान किया गया है जो कि प्राकृतिक न्यायिक सिद्धान्तों के विपरीत है।

विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने अपीलीय अधिकारी के आदेशों का समर्थन करते हुए प्रस्तुत अपीलें अस्वीकार करने का निवेदन किया।

उभयपक्ष की बहस सुनने, कर निर्धारण अधिकारी व अपीलीय अधिकारी के आदेशों तथा अपील व स्थगन आधारों पर विचार किये जाने के उपरान्त तथा समान बिन्दु पर पूर्व में पारित अपीलीय आदेश दिनांक 25.07.2017 के मद्देनजर प्रकरण में प्रथम दृष्टया सुविधा संतुलन अपीलार्थी व्यवहारी के पक्ष में प्रतीत होता है। अतः **प्रकरणों के गुणावगुण को प्रभावित किये बिना,** अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत स्थगन प्रार्थना–पत्र स्वीकार करते हुए शेष वसूली योग्य मांग राशि, जो कि उपरोक्त तालिका के **कॉलम संख्या–5** में अंकित है, की वसूली पर तीन माह के लिए इस शर्त पर रोक स्वीकार की जाती है कि अपीलार्थी इस आदेश प्राप्ति के 15 दिवस में कर निर्धारण अधिकारी के संतोष के अनुरूप पर्याप्त जमानत (adequate security) प्रस्तुत करेंगे। अपीलीय अधिकारी को भी निर्देशित किया जाता है कि वे इस आदेश प्राप्ति के 3 माह में उनके समक्ष लम्बित अपीलों का गुणावगुण के आधार पर निष्पादन करें।

निर्णय सुनाया गया।

सदस्य
राजस्थान कर बोर्ड
अजमेर